नयी शिक्षा नीति की नयी प्रयोगस्थलीः कुमायूं विश्वविद्यालय

शिक्षा को बाजार की शक्तियों के मातहत ला देने का क्रम तेज

शिक्षा और रोजगार के लिए लम्बे संघर्ष में उतर पड़ो !

• चारु • देवेन्द्र • श्वेता

एक तरफ नयी प्रवेश प्रक्रिया लागू करके, दूसरी तरफ फीसों में दो गुने से लेकर आठ गुने तक की भारी बढ़ोत्तरी करके कुमायूं विश्वविद्यालय प्रशासन ने आम गरीब परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करने के मार्ग में दोहरा अवरोध खड़ा कर दिया है।

विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नयी प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार किसी भी छात्र/छात्रा को विश्वविद्यालय में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त 8 वर्ष से अधिक का अध्ययनकाल अनुमान्य नहीं होगा। इसके तहत स्नातक स्तर पर अधिकतम 5 वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 3 वर्ष (कुल 8 वर्ष) के भीतर विश्वविद्यालय से अध्ययन पूरा कर लेना है। यदि इण्टरमीडिएट के बाद मेडिकल-इंजीनियरिंग में प्रवेश की तैयारी अथवा आर्थिक कारणों से पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है तो भी उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही डिग्री प्राप्त करना है अन्यथा उसे उच्च शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होगा। यही नहीं, यदि वह इण्टरमीडिएट के बाद एक या दो वर्ष तक प्रवेश नहीं लेता है तो उसके कुल प्राप्तांकों में से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से अंक भी काट लिये जायेंगे।

इसके अलावा कला व वाणिज्य संकाय में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट में न्यूनतम 40 प्रतिशत और विज्ञान संकाय के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत

कु.वि.वि. में बेतहाशा शुल्कवृद्धि

अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए बी.ए./बी.काम/बी.एस.सी. में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नयी प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार एक विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्ति के बाद दूसरे विषय से स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि कोई छात्र किसी कक्षा अथवा विषय में एक बार फेल हो जाता है तो उस छात्र को किसी भी कक्षा/विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन को इतने से भी संतुष्टि नहीं मिली तो उसने एक और बैरियर लगा दिया। नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन स्थानों में किसी पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने की सुविधा वहां के स्थानीय या निकट के महाविद्यालयों में उपलब्ध है, उन स्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों को अन्य स्थानों के महाविद्यालयों में सामान्यतया प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर आम छात्रों को पढ़ने से रोकने के लिए हर स्तर पर अवरोध खड़ा करने की कोशिश की गयी है।

आम गरीब छात्रों पर जो सबसे बड़ी मार इस सत्र में पड़ी है, वह है फीसों में बेइन्तहां वृद्धि। इस भारी शुल्क वृद्धि ने गरीब छात्रों के लिए, पहले से ही तंग शिक्षा के दरवाजों को और सिकोड़ दिया है। अब बहुत से गरीब अभिभावक जो किसी तरह जोड़-जुगाड़ करके अपने बच्चों को पढ़ा लेते थे या जो छात्र पाई-पाई जोड़कर अपनी मेहनत के दम पर ट्यूशन आदि करके अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे थे, अब वह गुंजाइश भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ायी गयी फीसों का अनुमान महज इस बात से लगाया जा सकता है कि विगत वर्ष के मुकाबले शिक्षण शुल्क में लगभग पांच गुने, मंहगाई के नाम पर छह गुने, विकास शुल्क में पांच गुने और प्रयोगशाला शुल्क में बारह गुने की वृद्धि की गयी है। साथ ही बीस रुपये का नया प्रवेश शुल्क भी लगा दिया गया है (**देखें तालिका एक**)।

शोध कार्यों के लिए शिक्षण शुल्क में सीधे पांच गुने की वृद्धि करके इसे रु० 1000/- कर दिया गया है और नामांकन के समय ही उन्हें इसकी आधी रकम यनी रु० 500/-जमा करना होगा। पुस्तकालय, परिसर पत्रिका, प्रयोगशाला सहित सभी पुराने शुल्कों में दो से पांच गुने की वृद्धि के साथ ही शोध परिषद और छात्र बीमा के नाम पर नये टैक्स लगाये गये हैं। यही नहीं, अब शोधार्थियों से शोध प्रबन्ध मूल्यांकन के नाम पर भी भारी वसूली की जाएगी। इस कार्य के लिए पी.एच.डी/डी.फिल. के शोधार्थियों से रु० 1500/- और डी.एस.सी/डी.लिट. के शोधार्थियों से रु० 3000/-वसूला जाएगा। (**देखें तालिका-दो**)।

अब, गरीब छात्रों के रहने के लिए बने छात्रावास, अमीरजादों के छोकरों का आवास बनेंगे। इसका

तलिका : एक

वार्षिक फीस/तुलनात्मक अध्ययन

क्र सं.	मद	स्नातक		स्नातकोत्तर पर्यटन/डिप्लोमा	
		पुरानी फीस (रुपये में)	बढ़ोत्तरी के बाद	पुरानी फीस (रुपये में)	बढ़ोत्तरी के बाद
i.	शिक्षण शुल्क	144.00	600.00	180.00	900.00
ii.	महंगाई भत्ता	54.00	300.00	54.00	300.00
iii.	क्रीड़ा शुल्क	120.00	240.00	120.00	240.00
iv.	प्रवेश शुल्क	00.00	20.00	00.00	20.00
v.	पुस्तकालय शुल्क	10.00	30.00	15.00	50.00
vi.	विकास शुल्क	20.00	100.00	20.00	100.00
vii.	परिसर पत्रिका शुल्क	25.00	30.00	25.00	30.00
viii.	विभागीय परिषद शुल्क	10.00	15.00	10.00	15.00
ix.	छात्रसंघ शुल्क	6.00	20.00	6.00	20.00
x.	नामांकन शुल्क	20.00	50.00	20.00	50.00
xi.	प्रयोगशाला शुल्क	24.00	300.00	36.00	300.00

तलिका : दो
शोधकार्य हेतु शुल्क

क्र.स.	विवरण	पुरानी फीस (रुपये में)	नयी फीस (रुपये में)
i.	शिक्षण शुल्क प्रवेश के समय	25.00	500.00
	अन्त में	175.00	500.00
	कुल	200.00	1000.00
ii.	पुस्तकालय एवं वाचनालय (प्रतिवर्ष)	35.00	200.00
iii.	परिसर पत्रिका शुल्क (प्रतिवर्ष)	25.00	30.00
iv.	परिचय पत्र (प्रतिवर्ष)	6.00	8.00
v.	प्रयोगशाला एवं सुरक्षित धन	35.00	200.00
vi.	शोध परिषद शुल्क	----	25.00
vii.	छात्र बीमा शुल्क	----	22.00
viii.	शोध प्रबन्ध मूल्यांकन/ मौखिक परीक्षा/ डाक-तार व्यय		
	(i) पी.एच.डी./डी.फिल.	----	1500.00
	(ii) डी.एस.सी/डी.लिट	----	3000.00

पुख्ता इंतेजाम किया जा रहा है। अभी ही छात्रावासों में भारी धन उगाही जारी है और इसे और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास जारी है (देखें तालिका-तीन)। 'मेस' के नाम पर तो वसूली इतना अधिक है कि उतने में छात्र बाहर किसी होटल में बेहतरीन भोजन की व्यवस्था कर सकता है। विश्वस्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि विश्वविद्यालय प्रशासन व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर कुछ सीटें "कैपिटेशन फीस" के लिए आरक्षित करने की कोशिश में है। यानी, पूरी उच्च शिक्षा को ही खुले बाजार में बिकने वाला इतना महंगा माल बनाने की दिशा में अग्रसर है, जिसे सिर्फ मोटी गांठ वाले ही खरीदने का साहस कर सकते हैं।

वैसे तो, देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का खुला व्यापार पहले से ही शुरू हो चुका था और उत्तर प्रदेश भी इस मसले में किसी से पीछे नहीं था। भाजपा सरकार ने इस दिशा में गाड़ी को सरपट दौड़ा दिया है और कुमायूं विश्वविद्यालय को इसकी नयी प्रयोगस्थली बनाया गया है। फीसों में भारी बढ़ोत्तरी और नयी प्रवेश प्रक्रिया इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

यद्यपि शिक्षा के मद में भारत, बजट का जितना हिस्सा खर्च करता है, वह तीसरी दुनिया के कई गरीब मुल्कों के शिक्षा बजट से भी कम है। फिर भी आई.एम.एफ./विश्व बैंक के आकाओं के जरिए साम्राज्यवादियों का यहां की सरकार पर लगातार दबाव रहा है कि शिक्षा मदों में और कटौती की जाए और क्रमशः पूरी तरह एक बिकाऊ माल में तब्दील कर दिया जाये। भारतीय पूंजीपति वर्ग का भी यह दबाव है कि शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों को तेजी से लागू किया जाये। देशी-विदेशी पूंजीपति शिक्षा के व्यापार में पूंजी-निवेश के लिए आतुर हैं। नतीजतन, संविधान में किये वायदे और बुर्जुआ जनतंत्र के बहुप्रचारित तथाकथित आदर्शों को ताक पर रखकर शिक्षा को बाजार की शक्तियों के मातहत ला देने का सिलसिला जारी है।

यूं तो इसकी शुरुआत 1986 में ही हो चुकी थी जब राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी, पर अब, खासकर नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद से, गाड़ी इस दिशा में सरपट भाग रही है। अब कोई ब्रेक नहीं है। जब धनी-गरीब की खाई पूरे समाज में अभूतपूर्व रूप से चौड़ी हो रही है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी यह होना ही था। इससे भिन्न कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। और इस मसले पर संसदीय वामपंथियों सहित सभी चुनावी पार्टियों में आम सहमति है। कांग्रेस ने शुरू किया, संयुक्त मोर्चे की सरकार ने इसे आगे बढ़ाया और भाजपा सरकार इसे नंगे रूप में और निरंकुश तरीके से लागू कर रही है।

आज, उच्च शिक्षा की 'क्वालिटी' सुधारने के नाम पर फीसें बढ़ाकर, सीटें घटाकर, नयी प्रवेश प्रक्रियाओं की लागू करके उच्च शिक्षा संस्थानों को नये-पुराने रइसों के नौबढ़ छोकरों के लिए पूरी तरह आरक्षित करने का पक्का इंतजाम किया जा चुका है। विरोध के किसी भी स्वर के जवाब में लाठियों-गोलियों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऐसे में हमारी ठंडी तटस्थता हमारी धीमी मौत का रास्ता प्रशस्त नहीं कर रही है?

आज एक बार फिर छात्रों-नौजवानों को शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ एक नये संघर्ष की तैयारी में जुट जाना होगा। साथ ही उन्हें शिक्षा के साथ रोजगार के प्रश्न को भी जोड़कर देखना होगा। इसे पूरे समाज में जारी उदारीकरण-निजीकरण की लगातार जारी प्रक्रिया और उसकी परिणतियों से भी जोड़कर उन्हें देखना होगा। सस्ती व समान शिक्षा तथा रोजगार के लिए जारी छात्रों-नौजवानों की लड़ाई अब सीधे-सीधे आम छात्रों-युवाओं की लड़ाई बन चुकी है। सवाल सिर्फ यह है कि हम इसे समझते कब हैं !

***

तलिका : तीन
छात्रावास शुल्क

क्रम. संख्या	विवरण	पुरानी फीस (रुपये में)	नयी फीस (रुपये में)
i.	छात्रावास शुल्क	360.00	400.00
ii.	चिकित्सा प्रभार	12.00	50.00
iii.	सेवा शुल्क	130.00	300.00
iv.	कॉशनमनी (वापसी योग्य)	20.00	200.00
v.	विविध छात्रावास शुल्क	----	850.00

इस देश में कुछ लोग

इस देश में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नवयुवकों एवं विद्यार्थियों के अपनी एक संस्था के अन्तर्गत संगठित देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखते। किन्तु मेरा विश्वास है कि ऐसा दृष्टिकोण या रुझान बिल्कुल गलत है। किसी भी व्यक्ति की तरह विद्यार्थी अपना अधिकार चाहते हैं, वे स्वाभिमानी नर-नारी की तरह जीवन-यापन करन चाहते हैं। कभी-कभी जब परिस्थिति का ऐसा तकाजा होता है, ये स्वाभिमानी विद्यार्थी शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ तक कि सरकार के साथ में संघर्ष पर उतर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपने अधिकारों के लिए लड़ना विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया आवश्यक हो जाता है।

---सुभाष चन्द्र बोस(31 अक्टूबर, 1938 को शिवांग ऑपेरा हॉल में विद्यार्थियों को सम्बोधन)